भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2233

दिनांक 8 **मार्च**, 2021

एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी

2233. **श्री भर्तृहरि महताब** :

श्री चिराग कुमार पासवान:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में संपूर्ण देश विशेषकर छोटे शहरों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की होम डिलीवरी करने पर इनके अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूलने के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और कंमनी-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा ऐसे मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार को संपूर्ण देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के विरूद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और कंमनी-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी प्रकृति क्या है तथा उक्त शिकायतों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को बिहार सहित संपूर्ण देश में एलपीजी डीलरों द्वारा नियमित रूप से उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसके कारण उपभोक्ताओं को गोदामों से सिलेंडर की ढुलाई करने के लिए अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दोषी एलपीजी वितरकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में एलपीजी वितरकों के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 2020 के दौरान घरेलू सिलिंडरों की होम डिलीवरी देने पर खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य लेने के सिद्ध मामलों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक**-I में दिया गया है। इस प्रकार के सभी सिद्ध मामलों में, विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग): तेल विपणन कंम्पनियों (ओएमसीज) को रीफिल डिलीवरी में देरी, एलपीजी सिलिंडरों की ऐसी बिक्री करना जिसका कोई रिकार्ड नहीं, कम वजन वाले सिलिंडरों की आपूर्ति/चोरी, अपात्र व्यक्तियों को एलपीजी कनेक्शन देने, एलपीजी वितरकों द्वारा घरेलू रीफिलों की घर पर डिलीवरी न देने आदि संबंधी विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 2020 के दौरान ओएमसी वितरकों के विरूद्ध अनियमितिताओं के कुल सिद्ध मामलों के राज्य/कंम्पनी-वार ब्यौरे **अनुलग्नक**- II में दिए गए हैं। इस प्रकार के सभी सिद्ध मामलों में, विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ): ओएमसीज को बिहार राज्य सहित देश भर में एलपीजी वितरकों द्वारा नियमित आधार पर एलपीजी उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति न करने के संबंध में ऐसी विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं, जिनके चलते उपभोक्ताओं को गोदाम से सिलिंडरों को लाने-ले जाने के लिए अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़े।

(ड.): पूरे देश में एलपीजी वितरण की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार/ओएमसीज द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं:-

- एलपीजी के वितरण को विनियमित करने के लिए, "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" अधिसूचित किया गया है;
- ओएमसीज ने वितरकों द्वारा पालन किए जाने के लिए एलपीजी विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) को अधिसूचित किया है। एलपीजी विपणन के सभी पहलुओं को शामिल करने और चूक करने वाले वितरकों पर निगरानी रखने के उद्दे य से एमडीजी को समय-समय पर संशोधित किया जाता है;
- सभी नए कनेक्शन/एकाधिक कनेक्शन/स्थानांतरित/निष्क्रिय ग्राहकों के लिए केवाईसी पहल ताकि वितरकों के पास उचित पहचान और पते के प्रमाण वाले ग्राहकों का नामांकन किया जा सके;
- आईवीआरएस/एसएमएस रीफिल बुकिंग सिस्टम देश भर में सभी नियमित डिस्ट्रीब्यूटरिशपों में शुरू किया गया है, जिसमें ग्राहकों को रीफिल बुकिंग/कैश मैमो के बनने पर एसएमएस मिलता है।
- ओएमसीज ने ई-बीजक की भी शुरूआत की है ताकि ग्राहक को देय सही कीमत का पता चल सके।
- उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
- नागरिक को अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सुविधाजनक, आसान और प्रभावी तरीका उपलब्ध करवाने के लिए उद्योग आधार पर कॉल सेंटर के माध्य से, एक विशिष्ट टोल फ्र टेलीफोन नंबर 18002333555 प्रचालनरत है;
- ओएमसीज ने घरेलू और गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के लिए अलग-अलग रंगों की व्यवस्था की शुरूआत की है ताकि अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग को आसानी से पहचाना जा सके।
- यदि ग्राहक मौजूदा वितरक की सेवाओं से संतुष्ट नहीं होता, तो पोर्टेब्लिटी स्कीम के तहत उसके यह विकल्प है कि उसी क्षेत्र में प्रचालनरत किसी अन्य वितरक की सेवाएं ले सकता है।

****

अनुलग्नक-I

एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी के संबंध में दिनांक 08.03.2021 **को श्री भर्तृहरि महताब तथा श्री चिराग पासवान द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 2233 **के भाग** (क) **और** (ख) **के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अप्रै.-दिस.)
चंडीगढ़	1	0	0	0
दिल्ली	1	2	1	0
हरियाणा	0	2	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	1	0	7
पंजाब	2	3	4	5
राजस्थान	9	14	12	10
उत्तर प्रदेश	20	39	58	31
उत्तरांचल	2	1	6	8
लद्दाख	0	0	0	0
उप योग उत्तर	**36**	**62**	**81**	**61**
अंडमान व निकोबार	0	0	0	0
अ णाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	1	2	3
बिहार	4	5	14	19
झारखंड	0	0	4	2
मणिपूर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	1	7	6	8
सिक्किम	0	0	0	0
त्रिपूरा	0	0	0	0
प चिम बंगाल	11	1	3	0
उप योग पूर्व	16	14	29	32
छत्तीसगढ़	0	1	0	2
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
गोवा	0	0	4	0
गूजरात	0	4	3	2
मध्य प्रदेश	6	3	8	10
महाराष्ट्र	7	18	7	7
उप योग पश्चिम	**13**	**26**	**22**	**21**
आं प्रदेश	4	11	18	15
कर्नाटक	3	10	12	15
केरल	1	8	7	1
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पूदूच्चेरी	0	0	0	0
तमिलनाडू	4	7	4	6
तेलंगाना	5	18	11	6
उप योग दक्षिण	**17**	**54**	**52**	**43**
अखिल भारत	**82**	**156**	**184**	**157**

			अनुलग्नक-II
एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी के संबंध में दिनांक 08.03.2021 को श्री भर्तृहरि महताब तथा श्री चिराग पासवान द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2233 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक			
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	**आईओसी**	**एचपीसी**	**बीपीसी**
चंडीगढ़	28	3	1
दिल्ली	387	33	17
हरियाणा	107	11	32
हिमाचल प्रदेश	26	2	10
जम्मू और कश्मीर	28	44	21
पंजाब	119	150	49
राजस्थान	276	513	139
उत्तर प्रदेश	961	689	487
उत्तरांचल	212	10	41
लद्दाख	0	0	0
अंडमान व निकोबार	0	0	0
अ णाचल प्रदेश	2	0	0
असम	87	12	19
बिहार	65	44	195
झारखंड	125	11	38
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	3	0	0
मिजोरम	0	0	0
नागालैंड	2	0	1
ओडिशा	102	10	105
सिक्किम	0	0	0
त्रिपुरा	3	0	0
प चिम बंगाल	82	272	76
छत्तीसगढ़	130	109	6
दादरा और नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0
गोवा	0	21	7
गुजरात	114	71	30
मध्य प्रदेश	850	68	42
महाराष्ट्र	183	156	272
आं प्रदेश	147	52	50
कर्नाटक	181	85	84
केरल	225	19	20
लक्षद्वीप	0	0	0
पुद्च्चेरी	6	0	0
तमिलनाडु	306	32	45
तेलंगाना	122	73	64
अखिल भारत	**4879**	**2490**	**1851**